सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 143/2008

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

श्रीमति सुगनी पुत्री भूरा जाति लौहार पत्नि सायर दौराने दावा फोत जरिये वारिसान
1/1 गणपतलाल पुत्र सायर लौहार निवासी पुराना मसूदा रोड ब्यावर जिला अजमेर

वादीया

बनाम

1. मु. गंगा बेवा नाथूलाल जाति लौहार निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–30.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प बघेरा में पेश हुई। वादीया/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीया ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीया की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2061–64 के खाता स. 167 के खसरानम्बर 2289, 2376 किता 2 कुल रकबा 0.91 हैक्ट. का पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी है। वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 2289 का पुराना खसरा नम्बर 1256 तथा खसरा नम्बर 2376 का पुराना खसरा नम्बर 985 है जो नाथू पुत्र भूरालाल लोहार के नाम दर्ज था। पूर्व खातेदार नाथू फोत होने से वादग्रस्त आराजी मु. गंगा व पुत्र कैदार के नाम दर्ज हुई। कैदार द्वारा अपना हिस्सा गंगा के नाम रीलिज कर देने से प्रतिवादी 1 के नाम दर्ज हो गई है लेकिन प्रतिवादी नम्बर 2 की लापरवाही से वादग्रस्त आराजी पूर्व में अकेले नाथू के नाम दर्ज हो गई जबकि नाथू के एक बहन वादीया सुगना देवी थी जो पूर्व में राजस्व कर्मियों की गलती से प्रतिवादी के नाम चली गई। लिहाजा वादीया ने यह दावा वादीया को सहखातेदार कृषक घोषित करते हुए प्रतिवादी को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने हेतु पेश किया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादीया का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। जवाब सरकार पेश हुआ। प्रतिवादी का जवाब दावा पेश नही होने से तन्कीयात कायम की गई। गवाह पीडब्लू 1 सुगना का शपथपत्र पेश हुआ जिसकी जिरह अब तक नही कराई गई है। प्रकरण में वादीया फौत होने से प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 3 जा.दी. का पेश हुआ जिसे स्वीकार किया जाकर मृतक के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। पत्रावली आज केम्प कोर्ट बघेरा में पेश हुई जहां उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। विवरण तनकीवार निम्न प्रकार है–

तनकी नम्बर 1 – आया वादी की वादग्रस्त आराजी वर्किंग जमाबन्दी में भूरा वल्द किसना वगै. के नाम दर्ज होने से तथा वादिया नाथू की बहन होने से अपने हिस्से तक घोषणा कराने व प्रतिवादी को पाबन्द कराने का हक रखती है।

इस तनकी को सिद्ध करने दायित्व वादीया का है। वादीया ने इस तनकी को सिद्ध करने हेतु जमाबन्दी संवत 2061–64 के खाता नम्बर 167 पेश की है जिसमें वादग्रस्त आराजी गंगा बैवा नाथूलाल व कैदारलाल पुत्र नाथूलाल लोहार सा.देह. खातेदार के नाम आराजी खसरा नम्बर 2289 व 2376 कुल रकबा 0.91 हैक्ट. दर्ज होकर जरिये नामान्तकरण संख्या 2595 दिनांक 05.07.2007 से सम्पूर्ण खाता से जरिये रिलीज गंगा बैवा नाथूलाल खातेदार का अंकन स्वीकार हुआ। वादीया ने खसरा गिरदावरी संवत 2061–64 पेश की है जिसमें कैदार लोहार के नाम गिरदावरी होना जाहिर होता है। वादीया ने मिलान क्षेत्रफल पेश किया है जो निम्न प्रकार है–

वर्तमान		गत	
खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
985	03–14–00	2766/3	03–14–00
1256	01–14–00	2393/1	01–14–00

वादीया ने ग्राम बघेरा जमाबन्दी संवत 2016–19 पेश की है जिसमें खाता नम्बर 616 के पुराने खसरा नम्बर 2766 रकबा 16–14–00 भूरा वल्द किशना कौम लोहार व नन्दा वल्द गंगाराम कौम चमार व गजानन्द पुत्र जवारा कौम लोहार सा.देह के नाम दर्ज होना पाया जाता है। वादीया ने जमाबन्दी संवत 2016–19 पेश की है जिसमें खाता नम्बर 225 के खसरा नम्बर 2393 रकबा 02–07–00 भूरा वल्द किशन कौम लोहार के नाम दर्ज होना पाया जाता है। वादीया ने मिलान क्षेत्रफल पेश किया है जो निम्नानुसार है–

वर्तमान		गत	
खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
985	0.04	1735 मि.	0.04
2256	0.35	1235	0.35

उपरोक्त दस्तावेजों के अनुसार वादीया का दावा स्वीकार फरमाया जावे। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वकील प्रतिवादी ने ना तो जवाब दावा पेश किया है ना ही अन्य दस्तावेज पेश किये है किन्तु जवाब सरकार पेश हुआ है। लिहाजा तनकी नम्बर 1 वादीया द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से दावे का मिलान न होने से यह तनकी प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार सरकार के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 – आया वादी की वादग्रस्त भूमि बाबत वादीया द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड दावे से मिलान न होने से खारिज के योग्य है।

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी का है। प्रतिवादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए ना तो जवाब पेश किया है ना ही अन्य दस्तावेज पेश किये है। किन्तु जवाब सरकार पेश हुआ है। लिहाजा तनकी नम्बर 2 वादीया द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से दावे का मिलान न होने से यह तनकी प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार सरकार के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3 – अन्य दादरसी

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादीया का दावा खसरा नम्बर 2289 व 2376 से संबंधित है किन्तु वादीया द्वारा जो मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी संवत 2016–19 की जमाबन्दीया पेश की है जो वर्तमान जमाबन्दी व दावे में वर्णित खसरान नम्बरान से मिलान होना नही पाया जाता है वादीया ने नाथू की बहन होना वादपत्र में जाहिर किया है किन्तु वादीया ने न तो सजरा पेश किया है ना ही दावे में सजरे का वर्णन किया है। जिसके कारण वादीया का दावा प्रेमाफेसाई होना नही पाया जाता है एवं वादपत्र का संतुलन वादीया के पक्ष में नही पाया जाता है।

अतः वादीया का दावा वाके ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2061–64 के खसरा नम्बर 2289 व 2376 के बाबत वादीया अपने वादपत्र को सिद्ध करने में असमर्थ रही है। लिहाजा वादीया का दावा पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी